

समाहरणालय, गया

(जिला नजारत शाखा)

समाहरणालय एवं अनुमण्डल कार्यालय में पदस्थापित पदाधिकारी के लिये मासिक भाड़े का वाहन एवं जिला में आनेवाले राज्य अतिथियों एवं विशिष्ट अतिथियों के लिये दैनिक भाड़े का वाहन लिया जाना है। इसके लिये विहित प्रपत्र में द्वि-लिफाफा प्रणाली के माध्यम से निम्नलिखित शर्तों के अधीन इच्छुक वाहन मालिकों/एजेन्सी से मुहरबंद निविदा दिनांक 17/04/2022 को अपराह्न 01:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है।

निविदा की शर्त :-

- (01) निविदादाता के पास SUMO VICTA/ BOLERO/ SCORPIO/ INNOVA/TATA SAFARI/TAVERA/ XYLO/ INDICA/ INDIGO/ SWIFT DEZIRE/ PIK UP VAN आदि वाहन पर्याप्त संख्या में होना चाहिये।
- (02) वाहन चालक सहित होगा तथा चालक के पास वैद्य ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
- (03) वाहन का मॉडल 2016 के पूर्व का नहीं होना चाहिए तथा अच्छे हालत में होना चाहिए।
- (04) ईंधन रहित वाहन में प्रशासन द्वारा आवश्यकतानुसार प्रति 10 किलो मीटर के लिये 01 लीटर ईंधन आपूर्ति की जायेगी।
- (05) वाहन का वाणिज्य निबन्धक होना आवश्यक है, कागजात संलग्न करना अनिवार्य है।
- (06) निविदादाता का 01.04.2021 के पूर्व का सर्विस टैक्स निबन्धन एवं आयकर निबन्धन अनिवार्य है।
- (07) राज्य सरकार/केन्द्र सरकार में अनुबंध पर कम से कम दो वर्षों तक न्यूनतम तीन वाहनों का सफलतापूर्वक परिचालन करने का अनुभव आवश्यक है।
- (08) निविदादाता का वार्षिक टर्न ओवर विगत तीन वर्षों में न्यूनतम मो०- 25,00,000.00 (पच्चीस लाख) रुपये का होना चाहिए।
- (09) वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी।
- (10) वाहन का रख-रखाव/साफ-सफाई/तैलिया एवं अन्य मेन्टेनेन्स संबंधित फर्म की होगी।
- (11) निविदादाता को नियमानुसार वाहन के भुगतान पर सभी करों का भुगतान करना होगा।
- (12) निविदादाता को भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा कभी भी काली सूची में दर्ज नहीं किया गया हो, इसका शपथपत्र संलग्न करना होगा।
- (13) निविदादाता को सुरक्षित जमा के रूप में मो०-50,000.00 रुपया जिला पदाधिकारी के पदनाम से बैंक ड्राफ्ट/नाजिर रसीद जमा करना होगा।
- (14) असंतोषजनक सेवा होने पर वाहन की सेवा किसी भी समय बिना कारण बताये वापस की जा सकती है।
- (15) Commercial Vehicle निविदाकर्ता के नाम से कम से कम चार होना चाहिये।
- (16) कार्यहित में स्थानीय निविदादाता को प्राथमिकता दी जाएगी।
- (17) निविदा द्वि-लिफाफा प्रणाली के अन्तर्गत देनी होगी अर्थात् तकनिकी निविदा (लिफाफा-A) एवं वित्तीय निविदा (लिफाफा-B) में अलग-अलग मुहरबन्द कर देना होगा तथा फिर दोनों लिफाफा को एक सीलबन्द लिफाफा (लिफाफा-C) में बन्द कर जमा करना होगा। वित्तीय निविदा में मात्र विहित प्रपत्र में दर प्रतिवेदित किया जाएगा तथा तकनिकी निविदा में मात्र तकनिकी प्रविष्टियाँ एवं अन्य प्रमाण पत्र संलग्न किया जाएगा।
- (18) निविदा दिनांक 17/04/2022 को अपराह्न 01:00 बजे तक जिला नजारत शाखा में प्राप्त की जाएगी एवं उसी दिन 03:00 बजे अपराह्न में खोली जाएगी।
- (19) निविदा को बिना कारण बताये किसी भी समय रद्द/स्थगित करने का अधिकार जिला पदाधिकारी के पास सुरक्षित होगा।

तकनिकी निविदा के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्र/कागजात संलग्न करना होगा।

- (1) सर्विस टैक्स निबन्धन प्रमाण-पत्र। (01.04.2021 के पूर्व का होना चाहिये)
- (2) आयकर निबन्धन प्रमाण-पत्र। (PAN Card)
- (3) कम से कम 25,00,000/- से रुपये का वार्षिक टर्न अवर संबंधित प्रमाण-पत्र। (विगत तीन वित्तीय वर्ष का होना चाहिये)
- (4) राज्य सरकार/केन्द्र सरकार में अनुबंध पर कम से कम दो वर्षों तक न्यूनतम तीन वाहनों का सफलतापूर्वक परिचालन करने का अनुभव प्रमाण-पत्र।
- (5) भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं होने से संबंधित शपथपत्र।
- (6) जिला पदाधिकारी के पदनाम से मो०- 50,000/- रुपये का बैंक ड्राफ्ट/नाजिर रसीद।
- (7) फर्म का आवरण प्रमाण पत्र एवं विगत तीन वर्ष का आयकर रिटर्न।


जिला पदाधिकारी,
गया।

वित्तीय निविदा

प्रपत्र- I

| क्र० | वाहन का प्रकार | दैनिक दर (ईंधन रहित) | | अभ्युक्ति |
|------|----------------|-------------------------|----------------------|--|
| | | वतानुकूलित (A.C) | सामान्य (Non A.C) | |
| 1 | TATA Safari | | | जिला प्रशासन द्वारा प्रति 10 किलो मीटर के लिये 01 ली० ईंधन आपूर्ति की जाएगी। |
| 2 | Innova | | | |
| 3 | Tavera | | | |
| 4 | Xylo | | | |
| 5 | Swift Dzire | | | |
| 6 | Scorpio | | | |
| 7 | Sumo Victa | | | |
| 8 | Bolero | | | |
| 9 | Indigo | | | |
| 10 | Indica | | | |
| 11 | Pikup Van | | | |

वित्तीय निविदा

प्रपत्र- II

| क्रम संख्या | वाहन का प्रकार | ईंधन रहित मासिक दर (विकल्प -1) | | 1000 KM तक ईंधन सहित मासिक दर (विकल्प -2) | | अभ्युक्ति |
|-------------|----------------|--------------------------------|-------------------|---|-------------------|---|
| | | वतानुकूलित (A.C) | सामान्य (Non A.C) | वतानुकूलित (A.C) | सामान्य (Non A.C) | |
| 1 | TATA Safari | | | | | <p>(विकल्प-01) ईंधन रहित वाहन में जिला प्रशासन द्वारा प्रति 10 किलो मीटर के लिये 01 लीटर ईंधन दिया जायेगा।</p> <p>(विकल्प-02) ईंधन सहित वाहन में 1000 किलो मीटर के चलने के पश्चात् प्रति 10 किलो मीटर के लिये 01 ली0 ईंधन आपूर्ति की जाएगी।</p> |
| 2 | Innova | | | | | |
| 3 | Tavera | | | | | |
| 4 | Xylo | | | | | |
| 5 | Swift Dzire | | | | | |
| 6 | Scorpio | | | | | |
| 7 | Sumo Victa | | | | | |
| 8 | Bolero | | | | | |
| 9 | Indigo | | | | | |
| 10 | Indica | | | | | |